



Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK47271439481818V
Certificate Issued Date	: 17-Apr-2023 11:30 AM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1220904/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK122090400595799026591V
Purchased by	: PRIYANKA JAISWAL
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: JAI PRAKASH
Second Party	: PRIYANKA JAISWAL
Stamp Duty Paid By	: PRIYANKA JAISWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



License No. 170
VIRENDRA KUMAR
STAMP VENDOR
Behradun (M.-9219878050)

Please write or type below this line



12/4/23

Byarke

Tailor

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

[illegible]

विक्रय अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल 2023 को स्थान देहरादून में श्री जय प्रकाश पुत्र स्व. श्री कान्ती प्रसाद निवासी 22/1, भण्डारी बाग, देहरादून

..... प्रथम पक्ष

तथा

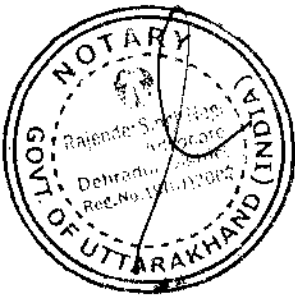
कु. प्रियंका जासवाल पुत्री श्री मोहन सिंह जायसवाल निवासी 1/1, भण्डारी बाग, देहरादून

..... द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित व अंकित किया।

इस अनुबंध पत्र में जहां जहां प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्द प्रयुक्त हुए हैं वहां वहां उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं हित प्रतिनिधि भी सम्मिलित माने व समझे जायेंगे।

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति सं. 37/1, भण्डारी बाग, गली नं. 4 ब्लाक प्रथम, देहरादून जिसका कुल भूमि का रकबा 167.18 वर्ग मीटर है जिसमें निर्मित भाग का रकबा 39.95 वर्ग मीटर है, बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 13-06-2005 श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह से क्रय की थी जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में बही नं. 1 जिल्द सं. 1337 के पृष्ठ सं. 888 एडी फाइल बुक नं. 1 जिल्द सं. 1507 के पृष्ठ 477 से 488 पर दस्तावेज सं. 14-06-2005 के रूप में दिनांक 22-05-2018 को विधिवत रूप से अंकित व पंजीकृत है। यह सम्पत्ति नगर निगम अभिलेखों में प्रथम पक्ष के नाम दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार प्रथम पक्ष एक आवासीय सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस अनुबंध पत्र के अंत में दिया गया है, का एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज है।



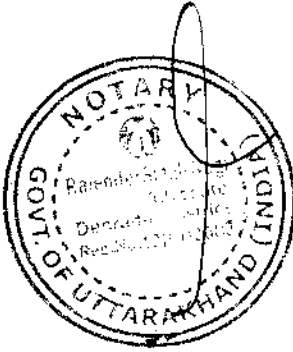
विदित हो कि प्रथम पक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति जो कि भूतल पर निर्मित एक आवासीय भवन है जिसका पूर्ण विवरण इस अनुबंध पत्र के अंत में सूची सम्पत्ति में दर्शाया गया है, को विक्रय करने का इच्छुक है तथा द्वितीय पक्ष क्रय करना चाहता है जिसके संबंध में दोनों पक्षों में निम्न लिखित शर्तें तय पाई गई हैं जिनके दोनों पक्षगण एवं उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि

Jai Prakash

Rajender Singh

सदैव पाबंद रहेंगे—

1. यह कि अनुबंधित सम्पत्ति का कुल सौदा मु. 54,00,000-00 (मु. चौवन लाख रुपये) तय पाया गया है तथा द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अग्रिम धन के रूप में रु. 50,000-00 (पचास हजार रुपये) बजरिये चैक सं. 281360 दिनांक 17-04-2023, बैंक ऑफ बड़ौदा देहरादून अदा कर दिया है, जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष को एतद्वारा स्वीकार है। शेष विक्रय मूल्य बरवक्त बैनामा अदा किया जायेगा।
2. विक्रय पत्र निष्पादित करने की अवधि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस अनुबंध पत्र के निष्पादन की तिथि से दो माह तय पाई गई है जो कि आपसी सहमति से घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
3. यह कि अनुबंधित सम्पत्ति हर प्रकार के भार बंधन से पाक व साफ दशा में विक्रय की जायेगी। यदि दस्तावेजों में प्रथम पक्ष के स्वामित्व में वर्णित सम्पत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित सम्पत्ति का विक्रय पत्र अपने नाम पर संपादित कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।
5. यह कि विक्रयपत्र संपादित करने का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. यह कि यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के हक में निर्धारित अवधि में विक्रय पत्र संपादित कराने में असमर्थ रहा अथवा उसने कोई आनाकानी की तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह बजरिये अदालत प्रथम पक्ष के हर्जे खर्चे पर अपने पक्ष में विक्रय पत्र संपादित करा ले इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।
7. यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से कोई अनुबंध पत्र संपादित नहीं किया हुआ है और न ही किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के संबंध में कोई मुख्तयारनामा दिया हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. यह कि उक्त सम्पत्ति की बाबत विक्रय पत्र निष्पादन व पंजीकरण की तिथि तक का समस्त बकाया कर व डिमाण्ड्स आदि की



Signature

Signature

जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

9. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को आश्वस्त किया है कि अनुबंधित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी न्यायालय अथवा फोरम में कोई वाद अथवा कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।
10. यह कि सम्पत्ति का खाली, वास्तविक व भौतिक अध्यासन विक्रय पत्र संपादन के समय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

विवरण सम्पत्ति

सम्पत्ति सं. 37/1, भण्डारी बाग, गली नं. 4 ब्लाक प्रथम, देहरादून जिसका कुल भूमि का रकबा 167.18 वर्ग मीटर है जिसमें निर्मित भाग का रकबा 39.95 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं—

पूरब	सम्पत्ति श्री काबल सिंह — सीमा में नाप 51 फिट 3 इंच
पश्चिम	सम्पत्ति श्री राम कुमार — सीमा में नाप 55 फिट
उत्तर	सम्पत्ति श्रीमती शान्ति देवी — सीमा में नाप 34 फिट
दक्षिण	20 फिट चौड़ा रास्ता — सीमा में नाप 33 फिट 9 इंच

अतः यह अनुबंध पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल 2023 को स्थान देहरादून में तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय पर उपयोगी सिद्ध हो। इति लिखित।

प्रथम पक्ष Jai Prakash

Piyanka
द्वितीय पक्ष

साक्षीगण :

1. सोहन सिंह
2.



ATTESTED
(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)